Gram UNIVERSITY
FAX 0512 2570006
Web www.kanpuruniversity.org

# छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
# CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

KALYANPUR, KANPUR-208024
कल्याणपुर, कानपुर-208024

पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि. / Acad. / 2105 / 2021

दिनांकः 20 / 07 / 2021

सेवा में,

**समस्त निदेशक / विभागाध्यक्ष / प्रभारी**
**विश्वविद्यालय परिसर**
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर

**विषयः विश्वविद्यालय परिसर में निर्धारित संकायों का पुनगर्ठन एवं निदेशक / सहायक निदेशकों की नियुक्ति**

**महोदय / महोदया,**

उ0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश 1267 / सत्तर–3–2021–16(26) / 2011 दिनांकः 15 जून, 2021 के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय परिसर एवं महाविद्यालयों में संकायों का पुनगर्ठन प्रस्तावित हैं। इसी क्रम में विद्या परिषद एवं कार्य परिषद से अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के संकाय निर्धारण एवं इन संकायो के अंतर्गत Schools of Study की स्थापना की जा रही है। विभिन्न Schools को शैक्षिक स्वायत्ता भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है जिससे अकादमिक सत्र समय से चलाया जा सके एवं पठन पाठन की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। सभी Schools विश्वविद्यालय द्वारा इस क्रम में बनाये गये अध्यादेश से परिचालित होगे।

आदेशानुसार विश्वविद्यालय परिसर में संचालित किये जाने वाले स्कूल में निदेशक एवं सहायक निदेशक की नियुक्ति निम्नानुसार प्रस्तावित हैः

| School | Departments | Director | Assistant Director |
|---|---|---|---|
| ***Atal Bihari Vajpayee School of Legal Studies*** | Department of Legal Studies | Hon'ble Vice Chancellor | Prof. A.S. Bhatnagar |
| ***School of Arts, Humanities and Social Sciences*** | Department of Life Long Learning and Continuing Education | Dr. Sandeep Singh | Dr. Niyati Padhi<br>Dr. Jitendra Dobral |
| | Department of Social Works | | |
| | Department of Journalism and Mass Communication | | |
| | Deen Dayal Shodh Kendra | | |
| ***School of Engineering and Technology*** | Department of Chemical Engineering | Dr. Brishti Mitra | Er. Ramendra Singh Niranjan<br>Dr. Alok Kumar |
| | Department of Computer Science and Engineering | | |
| | Department of Computer Application | | |
| | Department of Electronics and Communication Engineering | | |
| | Department of Material Sciences and Metallurgical Engineering | | |
| | Department of Mechanical Engineering | | |
| | Department of Fashion Technology and Interior Design | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Department of Hotel and Tourism Management | | |
| ***School of Fine Art and Performing Art*** | Department of Fine Arts and Painting | Dr. B. S. Katiyar | |
| | Department of Music | | |
| ***School of Languages*** | Department of Higher Studies in English and Foreign Languages | Prof. Sanjay Kumar Swarnakar | Dr. Richa Verma |
| | Department of Hindi | | |
| | Department of Sanskrit | | |
| ***School of Business Management*** | Department of Business Management | Prof. Anshu Yadav | Dr. Sudesh Kumar Srivastava |
| | Department of Library and Information Sciences | | |
| ***School of Health Sciences*** | Department of Health Sciences | Dr. Praveen Katiyar | Dr. Digvijay Sharma |
| ***School of Pharmaceutical Sciences*** | Department of Pharmaceutical Sciences | Dr. Nisha Sharma | Dr. A. Rajendiran |
| ***School of Sciences*** | Department of Biosciences and Biotechnology | Prof. Nand Lal | Dr. B.P. Singh |
| | Department of Life Sciences | | |
| | Department of Chemistry | | Dr. Shilpa Kayastha |
| | Department of Mathematics | | |
| | Department of Physics | | |
| ***School of Teacher Education*** | Department of Advanced Educational Research & Teaching of Educational Foundations | Prof. Munesh Kumar | Dr. R.P. Singh |
| | Department of Physical Education | | Dr. Rashmi Gore |

स्कूल के निदेशक एवं सहायक निदेशकों का मनोनयन एक वर्ष के लिए किया जाता है, जिसे तीन वर्ष तक कुलपति महोदय द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। पूर्व में निर्गत निदेशक/विभागाध्यक्ष/प्रभारी से सम्बन्धित समस्त आदेश, इस आदेश की निर्गत किये जाने की तिथि से निष्प्रभावी होगें।

निदेशक एवं सहायक निदेशक उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

20/7/2024

प्रो० (अन्शू यादव)

डीन एकेडमिक्स

*प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।*

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक।
3. डीन, प्रशासन, सी.एस.जे.एम.वि.वि. कानपुर।
4. समस्त निदेशकों एवं सहायक निदेशकों को सूचनार्थ।

संख्या-68 /2017/1801/सत्तर-4-2017-1115/2017

प्रेषक,

कृष्ण चन्द्र राय शर्मा,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव / वित्त अधिकारी,
1- महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।
2- डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3- छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
4- डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5- चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
6- महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ, वाराणसी।
7- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।
8- बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
9- दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
10- वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
11- ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ।
12- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर।
13- इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।
14- जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।

FO
11/12/17

लखनऊ: दिनांक 01 दिसम्बर, 2017

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

विषय- प्रदेश स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति की प्रथम किस्त अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित किये जाने के संबंध में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ वाराणसी, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ स्थापित किये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख अर्थात् कुल रू0 700.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्रति विश्वविद्यालय रू0 25,00,000.00 (रूपये पच्चीस लाख मात्र) अर्थात् कुल रू0 350.00 लाख की धनराशि श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- विश्वविद्यालय में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख की 50 प्रतिशत धनराशि से शोध कार्यों हेतु निधि की स्थापना की जायेगी, जिससे अर्जित होने वाले ब्याज से आगामी वर्षों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व एवं कृतित्व व चिंतन के संबंध में सेमिनार/वर्कशाप/सिम्पोजियम का आयोजन किया जायेगा।

F.O./Rajendra
11/12/17
R.O.
11-12-17

2- 10 प्रतिशत धनराशि का उपयोग शोध पीठ की स्थापना हेतु पुस्तकों के क्रय व शोध पत्रों के प्रकाशन पर किया जायेगा।

3- 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय द्वारा पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित कर आवश्यक मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं पर नियमानुसार व्यय की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा। आगामी किस्त की धनराशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर निर्गत की जाएगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, मितव्ययिता सम्बन्धी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों आदि के अनुसार किया जायेगा।

4- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

5- इस अनुदान का उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6- प्रश्नगत धनराशि पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

7- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

8- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

9- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-30- पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना- 3002-महात्मा ज्योतिबाफुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली, 3003-डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, 3004-छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, 3005-डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद, 3006-चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, 3007-महात्मा गांधी काशी विद्या पीठ वाराणसी, 3008-सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, 3009-बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय झांसी, 3010-दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, 3011-वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर, 3012-ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ, 3013-सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, 3014-इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद, 3015-जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या - ई-11-897/दस-2017, दिनांक 17 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
उप सचिव

संख्या- ८७ /2017/१०९/सत्तर-4-2017, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 इलाहावाद ।

4- सम्बन्धित कोषाधिकारी ।

5- सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11

7- अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

( सर्वेश कुमार सिंह )
अनु सचिव

संख्या-27/70-4/2001-4016(1)/2000

प्रेषक,

सतीश लाल श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वित्त अधिकारी,
छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय,
कानपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 29 जनवरी, 2001

विषय:- विश्वविद्यालय में पं० दीनदयाल उपाध्याय शोध केन्द्र की स्थापना हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर वि०वि०, कानपुर में पं० दीनदयाल उपाध्याय शोध केन्द्र के संचालन हेतु शासनादेश सं०-3457/70-4/2000-4016(1)/2000, दिनांक 9.11.2000 द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त पर श्री राज्यपाल महोदय रु० 1,00,00,000/-(रुपया एक करोड़ मात्र) की धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत किए जाने पर अपनी सहमति प्रदान करते हैं कि उक्त शोध केन्द्र के लिए स्वीकृत उपरोक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज से शोध केन्द्र का संचालन किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत धनराशि पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अनुच्छेद-369 में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अंतर्गत लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-36-राज्य विश्वविद्यालयों को चालू भवन निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों हेतु अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०-[illegible]-2 1039/दस-2001, दिनांक 15.1.2001 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी

.....2...

किए जा रहे हैं।

भवदीय,

[illegible] लाल श्रीवास्तव
उप सचिव

सं0: T-2711/7[illegible]-4/2001, तद्दि0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. [illegible]/माध्यमिक, उ0प्र0, [illegible]।
2. निदेशक, राष्ट्रीय [illegible] शिक्षा परिषद, उ0प्र0, [illegible]।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
5. जिलाधिकारी, कानपुर।
6. आर्थिक[illegible]-2।
7. सम्बन्धित महाविद्यालय/गार्ड [illegible]।

आज्ञा से,

[illegible] लाल श्रीवास्तव
उप सचिव